संख्या–2657 / 9–आ–3–2001–194काम्प / 2001

प्रेषक,

पी0 एल0 पुनिया,
आयुक्त एवं प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँक : 25 जून, 2001

विषय : अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण एवं अनाधिकृत कब्जे / अवैध निर्माण के विरूद्ध की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–5907 / 9–आ–3–2001(आ.ब.) दिनांक 26 मई, 2001 जिसके अन्तर्गत अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु गाईडलाईन्स निर्गत की गयी है, का सन्दर्भ ग्रहरण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवैध रूप से निर्मित कालोनियों / अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण किये जाने के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि :–

(1) अनाधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण हेतु शासन द्वारा जारी गाईडलाईन्स के अनुसार शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(2) जो कालोनियां राजकीय आस्थान की अथवा अन्य सरकारी भूमि पर निर्मित है, का नियमितीकरण राजस्व विभाग अन्य संबंधित विभाग द्वारा भूमि के संबंध में नीतिगत निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही किया जाए।

(3) बिन्दु–1 के सन्दर्भ में प्रस्तावित नियमितीकरण की कार्यवाही को देखते हुए ऐसे अनाधिकृत भवन जो पूर्व में बन चुके हैं, का ध्वस्तीकरण फिलहाल रोक दिया जाये परन्तु नए अनाधिकृत निर्माणों पर प्रारम्भ से ही नियंत्रण लगाया जाय।

(4) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नाले, सड़क एवं असुरक्षित क्षेत्र में स्थित कालोनियों / भवनों अथवा ऐसे निर्माण जिनसे अवस्थापना सुविधाओं में अवरोध उत्पन्न हो रहा हो, का नियमितीकरण न किया जाए और ऐसे मामलों में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाय।

(5) जो भी अवैध निर्माण / अतिक्रमण हो रहे है उनके प्रारम्भ होने के समय से सख्ती से कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि किसी निर्माण के पूर्ण होने के उपरान्त उत्पन्न होने वाली समस्या ही न रहे।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
पी0 एल0 पुनिया
प्रमुख सचिव

संख्या 2657 (1)/9–आ–3–2001 तद्दिनांक :–

1. प्रतिलिपि निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री/राज्य आवास मंत्री/राज्य नगर विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रतिलिपि निजी सचिव, आयुक्त एंव प्रमुख सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आवास के अवलोकनार्थ।
4. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. आवास आयुक्त, उ0प्र0 एवं विकास परिषद् उत्तर प्रदेश।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहाकरी आवास संघ लिमिटेड लखनऊ।
7. मुख्य नगर एंव ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
8. अपर निदेशक, उ0प्र0 आवास बन्धु।

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव